

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6305 सन् 2026**

सत्यम यादव

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,

लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : स्वयं पक्षकार, चिन्मय मिश्राविपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सावित्र वर्धन सिंह

न्यायालय संख्या - 3**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई संशोधित याचिका को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चिन्मय मिश्रा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता श्री सावित्र वर्धन सिंह एवं राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
3. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"1. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जारी विवादित सूचना दिनांक 21.05.2026 को निरस्त किया जाए, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

I.अ. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी विवादित निष्कासन आदेश दिनांक 08.06.2026 को निरस्त किया जाए, जो अनुलग्नक संख्या 12 में संलग्न है।

II. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.08.2025 के विरुद्ध जारी निलंबन आदेश दिनांक 30.08.2025 को मंगाकर निरस्त किया जाए।

III. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को आदेशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को दिनांक 12.06.2026 से निर्धारित उसकी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से न रोकें, जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 8 में समाहित है, और याचिकाकर्ता का परीक्षा परिणाम भी न रोकें।

IV. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगते गए परिणामों तथा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के कृत्य से कारित मानसिक संताप के लिए मुआवजा प्रदान करें।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवादित निष्कासन आदेश एकपक्षीय आदेश है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है, अतः यह आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि निष्कासन का दंड अत्यंत कठोर है, जो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं है। इसके विपरीत, विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पर कई कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील किए गए थे और याचिकाकर्ता के उत्तर पर भी विचार किया गया था, तथा अन्य गवाहों के बयान याचिकाकर्ता के आचरण की दुराचारिता को दर्शाते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंत में यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के पास उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के तहत कुलाधिपति के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने का एक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। वर्तमान याचिका वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारीज होने योग्य है।

7. तथ्यों पर विचार करते हुए, आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी संज्ञान में लेते हुए कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में स्वयं अपना कदाचार स्वीकार करते हुए एक शपथ पत्र (हलफनामा) दाखिल किया था, तथा यह ध्यान में रखते हुए कि कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता पर विधिवत तामील किए गए थे और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद विवादित आदेश पारित किया गया था, यह न्यायालय निष्कासन आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

8. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

9. हालांकि, याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है।

10. इस याचिका के खारीज होने का आदेश लिखवाने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के दो मोबाइल फोन ले लिए हैं और उसने इन मोबाइल फोन को वापस करने के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। इसलिए, विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को मोबाइल फोन वापस करने का निर्देश दिया जाए।

11. उपरोक्त अनुरोध पर विचार करते हुए, विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो याचिकाकर्ता के दो मोबाइल फोन वापस करने के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

16 जून, 2026

मुक

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।